



जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन (झारखंड पर केंद्रित विश्लेषण)

डॉ० जुई बनार्जी

शोधार्थी (डि०लिट०) दर्शनशास्त्र विभाग, बि०बि०म०को०वि०, धनबाद.

डॉ० रीता कुमारी शर्मा

सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, बि०बि०म०को०वि० धनबाद.

शोध-सार :

यह शोध आलेख झारखंड राज्य की जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की स्थिति का विश्लेषण करता है। झारखंड की लगभग 26% आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जिनमें महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। परंतु लंबे समय तक वे अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य समस्याओं, सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का सामना करती रही हैं।

हाल के वर्षों में राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे सखी मंडल, पलाश ब्रांड, एकलव्य विद्यालय एवं महिला नीति 2015 ने जनजातीय महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इन कार्यक्रमों ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने में सहायता की है। फिर भी, झारखंड की जनजातीय महिलाओं के समक्ष कई चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, जैसे – पितृसत्तात्मक सोच, मानव तस्करी, अपराध में वृद्धि, योजनाओं की सीमित पहुँच आदि।

यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जब तक स्थानीय समुदायों को सशक्त नहीं किया जाएगा और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण से न केवल झारखंड की सामाजिक संरचना अधिक समावेशी बनेगी, बल्कि यह राज्य के सतत विकास की दिशा में भी एक मजबूत कदम होगा।



कीवर्ड : झारखंड, जनजातीय महिलाएँ, सशक्तिकरण, स्वावलंबन, सखी मंडल, पलाश ब्रांड, शिक्षा, मानव तस्करी।

भूमिका :

झारखंड, भारत का एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ की लगभग 26% आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है (जनगणना 2011)। इस राज्य की जनजातीय महिलाएँ पारंपरिक रूप से कृषि, वनोपज संग्रहण, शिल्पकला, एवं सामाजिक जीवन की विविध प्रक्रियाओं में सक्रिय रही हैं। बावजूद इसके, उन्हें

लंबे समय तक शोषण, असमानता, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में सरकार एवं विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों ने जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन को एक नई दिशा दी है। यह आलेख झारखंड के विशेष संदर्भ में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चुनौतियाँ, सशक्तिकरण के प्रयास, और सफलता की कहानियों का विश्लेषण करता है।

झारखंड की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति :

झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर, खड़िया, असुर जैसी कई प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। इन समुदायों की महिलाएँ परंपरागत रूप से उत्पादन कार्यों में पुरुषों के साथ सहयोग करती रही हैं, फिर भी उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कम मिली है।

साक्षरता दर — झारखंड में महिला साक्षरता दर 62.6% है, जबकि जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर केवल 49.85% (जनगणना 2011) है, जो सामाजिक असमानता को रेखांकित करती है।

स्वास्थ्य स्थिति — झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, प्रसवकालीन मृत्यु, और एनीमिया जैसी समस्याएँ अत्यधिक देखी जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच ग्रामीण आदिवासी महिलाओं तक सीमित है।

सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम :

शैक्षणिक सशक्तिकरण — सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों जैसे कृएकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और सरस्वती वाहिनी योजना ने जनजातीय बालिकाओं की विद्यालयों में भागीदारी बढ़ाई है। उदाहरण— पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के तांतनगर और मंझारी प्रखंडों में एकलव्य विद्यालयों से जुड़ी बालिकाओं की संख्या में 2014 से 2022 तक 35% की वृद्धि हुई है।

आर्थिक सशक्तिकरण — झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (JSLPS) के अंतर्गत “सखी मंडल” के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ लघु उद्योग, वनोपज विपणन, सिलाई-कढ़ाई, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों में सक्रिय हुई हैं। उदाहरण— गुमला, लोहरदगा और खूंटी जिलों में पलाश ब्रांड के तहत लाख महिलाओं द्वारा उत्पादित महुआ, तसर, हड्डा, और नींबू घास जैसी वस्तुएँ राष्ट्रीय बाजारों में पहुँच रही हैं। इससे महिलाओं की औसत आय 30% तक बढ़ी है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण — झारखंड की महिलाएँ पारंपरिक लोक नृत्य (सरहुल, मांदर, जत-जतिन), चित्रकला (सोहराई, कोहवर) एवं हस्तकला में निपुण हैं। अब ये कलाएँ उनके आत्मनिर्भरता के साधन बन रही हैं। उदाहरण— हजारीबाग की सोहराई चित्रकला को महिलाओं ने पर्यावरणीय रंगों और डिजाइनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचाया है। इन्हें राज्य सरकार द्वारा विपणन सहयोग दिया जा रहा है।

कानूनी और नीतिगत समर्थन :

प्रमुख प्रावधान — वन अधिकार अधिनियम 2006 झारखंड में जनजातीय महिलाएँ अपने नाम पर वनभूमि के मालिकाना हक प्राप्त कर रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्र (पांचवीं अनुसूची) में महिलाएँ ग्राम सभा की पूर्ण सदस्य हैं और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो रही हैं। झारखंड महिला नीति 2015, महिला स्वावलंबन के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि ऋण पर ब्याज में छूट, कौशल प्रशिक्षण एवं विपणन सहयोग।

चुनौतियाँ :

सामाजिक मान्यताएँ और पितृसत्ता — संथाल, मुंडा और अन्य जनजातियों में मातृकेंद्रितता होने के बावजूद, पितृसत्ता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे महिलाओं की भूमिका सीमित हो रही है।

मानव तस्करी और हिंसा — पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे जिलों में मानव तस्करी के शिकार अधिकांशतः जनजातीय किशोरियाँ होती हैं। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 8.2% की वृद्धि हुई।

योजनाओं की सीमित पहुँच — दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी और कार्यान्वयन दोनों की सीमाएँ हैं। SHG की सफलता शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक दिखती है।

सफलता की प्रेरक कहानियाँ :

बाईसा मुंडा (चाईबासा, झारखंड) — पहले एक सीमांत किसान की पत्नी थीं, लेकिन अब मधुमक्खी पालन और नीबू घास के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। उनके नेतृत्व में गठित SHG ने पिछले वर्ष 4 लाख की आय अर्जित की। आज वे कई महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं।

पलाश ब्रांड की महिलाएँ — साहेबगंज और सिमडेगा की महिलाएँ पलाश ब्रांड के तहत जैविक उत्पाद (शहद, मुनगा पाउडर, नीबू घास तेल) का उत्पादन और ब्रांडिंग कर रही हैं। इस प्रयास से हजारों महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं।

निष्कर्ष : झारखंड की जनजातीय महिलाएँ पारंपरिक रूप से आत्मनिर्भर रही हैं, परंतु औपनिवेशिक प्रभाव, शोषण और योजनागत विसंगतियों ने उनकी स्वायत्तता को बाधित किया। आज जब राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएँ और समुदाय स्वयं महिलाओं को शिक्षित, संगठित और सक्षम बनाने में लगे हैं, तब उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की संभावनाएँ प्रबल हुई हैं। हालांकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं और नीति से लेकर क्रियान्वयन तक एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण झारखंड की सामाजिक संरचना को न केवल समावेशी बनाएगा, बल्कि सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

संदर्भ सूची :-

1. Government of India, 2011, Census of India 2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India
2. Ministry of Tribal Affairs, 2023, Annual Report 2022 & 23, Government of India-, P. – 164
3. Jharkhand State Livelihood Promotion Society, 2022, Paalash Impact Report, Ranchi, JSLPS, P. – 46.
4. Patnaik, S., 2019, Tribal Artisanry in Odisha, Oxford University Press, P. - 89 & 91.
5. National Crime Records Bureau, 2022, Crime in India 2021, Ministry of Home Affairs, P. – 210.
6. Jharkhand Education Project Council, 2022, Annual Report on Tribal Girls Education, Ranchi JEPC, P. – 118.
7. Rao, A., 2020, Empowering Tribal Women in India, Sage Publications India Pvt Ltd, 2nd ed. P. – 133 & 145.
8. Xaxa, V., 2017, Tribes and Social Exclusion, New Delhi, Pearson Education, P. - 78 & 92.
9. Ekka, A., 2018, Gender and Tribal Societies, New Delhi, Rawat Publications, 1st Ed., P. – 55 & 68.
10. Singh, K. S., 1993, The Scheduled Tribes, New Delhi, Oxford University Press, P. – 102 & 110.